न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 11/22 वाद GCMS NO : 2022/00050
पूर्व प्रकरण संख्या : 131/2016

1. श्रीमती नानी पत्नी श्री कन्हैयालाल जी डांगी,
2. श्री मेघा पिता वगता जी डांगी,
3. श्रीमती वाली पिता श्री वगता जीडांगी,
4. श्रीमती प्यारी पत्नी श्री वगता जी डांगी सर्व निवासीयान भल्लों का गुड़ा, तहसील गिर्वा, उदयपुर

.....वादीगण

बनाम

1. श्रीमती मीरा पत्नी श्री गेहरीलाल जी डांगी, निवासी भल्लों का गुड़ा तहसील गिर्वा, उदयपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः– श्री हर्षद जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक :

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम भल्लों का गुड़ा, तहसील गिर्वा, उदयपुर में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 के अलावा अन्य खातेदार के साथ संयुक्त शामिल एवं अविभक्त की कृषि आराजी संख्या 24700 72 से 2483 कुल किता 12 कुल रकबा 2.0700 हैक्टेयर भूमि जिसमें प्रार्थीगण एवं विपक्षी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.10.21 10:38:22 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 के अलावा अन्य खातेदार अपने हक व हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार होकर अविभाजित रूप से आपसी समझ से मौके पर काबिज चले आ रहे है। प्रार्थी संख्या 1 का 1/16 तथा प्रार्थी संख्या 2 से 4 का संयुक्त रूप से अविभाजित 3/64 हक हिस्सा है। प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजी भूमि में से अपने भू भाग का बंटवाड़ा कर अलग कब्जा प्राप्त करना चाहता है, इसके लिए प्रार्थीगण ने शेष खातेदारो विपक्षीगण से बंटवाड़द्वा हेतु सम्पर्क कराना चाहा जिस पर विपक्षी संख्या 1 के अलावा शेष सभी सहमति के लिए लिए सहमत है। जैसे ही प्रार्थी ने सहमति की बात चलाई, विपक्षी संख्या 1 ने निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री इकट्ठी कर कार्य आरम्भ कर दिया, तथा बिना विभाजन के कब्जा करने पर उतारू है। अतः निवेदन है कि विपक्षी संख्या 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने से जवाब अवसर बंद किया जाता है।

प्रार्थी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण व अपूणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता है एवं वादग्रस्त भूमि में पक्षकारों के मध्य आगे ओर विवाद उत्पन्न नहीं हो इस हेतु विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि राजस्व ग्राम भल्लों का गुड़ा, तहसील गिर्वा, उदयपुर के आराजी संख्या 24700 72 से 2483 कुल किता 12 कुल रकबा 2.0700 हैक्टयर भूमि में मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

निर्णय सरेईजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा – उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.10.21 10:38:22 IST
Reason: SelfAttested